अखिल भारतीय राम राज्य परिषद्

संविधान

धारा १—नाम

इस संस्था का नाम अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् होगा।

प्रधान कार्यालय—

इस संस्था का प्रधान कार्यालय दिल्ली या अन्य किसी ऐसे स्थान पर होगा जिसे कार्य समिति निश्चित करे।

धारा २—मुख्य उद्देश्य

रामराज्य, ईश्वर राज्य, अथवा धर्म नियंत्रित राज्य स्थापित करना परिषद् का मुख्य उद्देश्य है।

अवान्तर उद्देश्य

उक्त प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अवान्तर उद्देश्य होंगे।

१ 'सभी प्राणी परमेश्वर की सन्तान तथा परमेश्वर के अंश हैं', इस भावना के साथ सबकी सहज भ्रातृता, समानता एवं स्वतन्त्रता उद्-बुद्ध करना।

२ शान्तिपूर्ण तथा वैध उपायों द्वारा अखण्ड भारत की स्थापना करना

३ भारत भूमि में चक्रवर्ती अर्थात् केन्द्र में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य स्थापित करना और उसी उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार का प्रभुत्व समग्र भारत भूमि में अक्षुण्ण रखना इसके साथ साथ प्रान्तीय स्वाधीनता जहाँ तक सम्भव हो स्थापित करना।

४ सुविचारित विधान द्वारा स्वीकृत मूलभूत अधिकारियों को बिना किसी शर्त के अखण्ड रूप में स्थापित करना।

५ देश में ऐसा स्वराज्य स्थापित करना जिसके आधार भूत सिद्धान्त भारतीय हों। जिसके शासक और शासित सब पर व्यापक अर्थ में धर्म का नियंत्रण हो और जिसकी राजनीति, अर्थनीति आदि धर्म भावना से अनुप्राणित हो।

६. विश्व-हित एवं विश्वशान्ति का ध्यान रखते हुए भारतराष्ट्र के सर्वविध अभ्युदय का प्रयत्न करना, विदेशों के साथ सम्बन्ध बढ़ाना और वहांके दूतावासा को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनाना।

७. जाति, सम्प्रदाय एवं धर्मगत पक्षपात के बिना प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह के राजनोतिक, आर्थिक अभ्युदय का प्रयत्न करना।

८. श्रमिक, कृषक, व्यापार, शिल्पी तथा बुद्धि जीवी वर्गों में परस्पर सहयोग और सद्भावना के भाव उत्पन्न करना। व्यापार में ईमानदारी का भाव उत्पन्न करना तथा धार्मिकों में यह भाव लाना कि उनका धन जनता की धरोहर है। मालिक और मजदूरों में सद्भावना तथा समता स्थापित करना, पाश्चात्य औद्योगीकरण के दोषों से देश को बचाना तथा उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करके ग्राम तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना, मुद्रा का प्रचलन सीमित रखकर यथासम्भव वस्तुओं के आदान-प्रदान या विनियम की प्रथा चलाना और किसानों को उपज के रूप में लगान चुकाने की सुविधा देना, खेती, उद्योग आदि भारतीय साधनों पर जोर देना और अनुसंधान प्रसार तथा विकास का प्रबन्ध करना।

९. खाने, पहनने, रहने की शिक्षा और स्वास्थ्य-सुधार की सब सुविधाएं देना, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की कड़ी व्यवस्था रखना कृत्रिम आवश्यकताओं को कम करना, जीवन में सादगी तथा संतोष का भाव लाना।

१०. गोवध बन्द करना एवं गाय-भैंस आदि पशुओं के पालन-परिवर्द्धनादि द्वारा आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए घृत दुग्धादि, कृषि के लिए बैल और पर्याप्त खाद उपस्थित करना।

११. न्याय को सुलभ तथा निष्पक्ष बनाना।

१२. अन्त्यज तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों की दशा सुधारना, रहन-सहन शिक्षण और स्वास्थ्य की उन्हें विशेष सुविधाएं देना, उन्हें उनके उपयुक्त उच्च से उच्च पद देना और समाज की दृष्टि से उनका मान बढ़ाना।

१३. शिक्षा में आध्यात्मिक, मानसिक तथा शारीरिक विषयों की शिक्षा देना। शारीरिक बल बढ़ाने के लिए व्यायामशालाओं की व्यवस्था करना और भौतिक जीवन के साथ ही नैतिक जीवन के स्तर को भी धार्मिक संस्थाओं की सहायता से उच्च बनाने का प्रयत्न करना।

१४. शासन में ऐसी निर्वाचन पद्धति प्रचलित करना जो आधुनिक दोषों से मुक्त हो। गांवों को शासन का आधार बनाना, उनमें बिरादरी का प्राचीन महत्त्व जागरित करना, पंचायतों को प्राचीन ढंग पर संगठित करना राज्य को जनमत के अनुकूल बनाकर जनता और राज्य में मेल रखना।

१५. हिन्दी को अविलम्ब राष्ट्रभाषा बनाना, और साथ ही प्रान्तीय तथा वर्गों की भाषाओं की रक्षा तथा उन्नति करना और प्राचीन भाषाओं की रक्षा तथा उन्नति करना और प्राचीन भाषाओं के पठन-पाठन का भी प्रचार करना।

१६. प्राचीन भारतीय कलाओं, विद्याओं तथा विज्ञान का उद्धार करना, देशी चिकित्सा पद्धति का संरक्षण, प्रचार तथा उन्नति करना। आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित करना।

१७. मातृ-शक्ति के गौरव को जागरित करना।

१८. सभी वर्गों के धार्मिक विश्वासों की रक्षा करना, अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की सबको स्वतन्त्रता देना, किसी के धर्म में कोई भी सरकारी हस्तक्षेप रोकना। सभी सम्प्रदायों के तीर्थों, देवस्थानों, उपासना-गृहों, धार्मिक संस्थाओं की रक्षा करना,

तत्तत्सम्प्रदायों के अपहृत धर्म स्थानों को ससम्मान परावर्तन करा कर परस्पर सद्‌भावनाओं को दृढ़ करना ।

१६. तत्तद्धर्मों एवं संस्कृतियों की तत्तत्सम्प्रदायों के धर्मग्रन्थों एवं सम्प्रदायाचार्यों द्वारा की गई व्याख्या को ही मान्यता देना ।

धारा ३ सदस्यता:—

भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक, जो अधिकृत सदस्य-पत्र पर लिखित रूप में परिषद् के आदर्श और उद्देश्य को स्वीकार करे, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् का सदस्य होगा। प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम ।) वार्षिक शुल्क देना चाहिये । इससे अधिक सहायता सहर्ष स्वीकार की जावेगी ।

१. प्रतिदिन कुछ समय रामराज्य स्थापना के लिये ईश्वर-प्रार्थना ।
२. कुछ समय परिषद के कार्य के लिए लगाना ।
३. यथाशक्ति आर्थिक सहायता देना ।

सदस्यता निवृत्ति—

निम्नलिखित कारणों से किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जावेगी । (१) मृत्यु (२) पागलपन (३) त्यागपत्र स्वीकृति (४) परिषद के आदर्शों एवं उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण के कारण पृथक्करण ।

सदस्य शुल्क विभाजन

सदस्यों द्वारा दिये गये वार्षिक शुल्क को विभिन्न परिषद समितियों में निम्नलिखित अनुमान से बांटा जावेगा ।

अखिल भारतीय रामराज्य परिषद महासमिति को चौथा भाग, प्रदेश परिषद समिति को चौथा भाग, जिला परिषद समिति को चौथा भाग, तथा ग्राम या मुहल्ला परिषद समिति, को चौथा भाग ।

सदस्यों की पत्रिका में

(अ)प्रत्येक ग्राम व मुहल्ला परिषद समिति, मध्य की परिषद समिति,

जिला परिषद् समिति और प्रदेश परिषद समिति अपने सदस्यों की पत्रिका भी रखेगी।

(आ) इन पत्रिकाओं में प्रत्येक सदस्य का पूरा, नाम, पता; उम्र, पेशा, निवासस्थान और भरती का तारीख का उल्लेख रहेगा तथा उन में नये सिरे से दिये गये, शुल्क की अदायगी; दर्ज की जावे गी।

धारा ४—परिषद सांमतियों का कार्यकाल सामान्यतया प्रत्येक परिषद समिति, उस के पदाधिकारियों एवं कार्य समिति के कार्यकाल की अवधि एक वर्ष होगी।

परिषद् के अंग

धारा ५—अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् के ये अंग समझे जाएंगे।

१. साधारण सदस्य।
२. ग्राम, क्षेत्र, मंडल मुहल्ला, तथा नगर परिषद।
३. जिला तथा अन्य ऐसी मध्यवर्ती परिषद् जिन्हें प्रान्तीय परिषद नियुक्त करें।
४. प्रान्तीय परिषद तथा अन्य परिषद जिन्हें अखिल भारतीय परिषद् स्थापित करें।
५. अखिल भारतीय रामराज्य परिषद महा समिति।
६. अखिल भारतीय रामराज्य परिषद कार्य समिति।
७. अखिल भारतीय रामराज्य सर्वोच्च समिति।
८. अखिल भारतीय प्रान्तीय तथा जिला परिषदों के वार्षिक, विशिष्ट अथवा आवश्यक अधिवेशन।
९. अखिल भारतीय या अधीनस्थ परिषदों द्वारा आयोजित सम्मेलन।
१०. भारत के बाहर स्थापित तथा अखिल भारतीय परिषद द्वारा मान्य परिषदें।
११. कोई संस्था जो परिषद से सम्बन्ध हो।

इस समय भारतीय संविधान में राज्यों की जो सीमाएं निर्धारित हैं, वे ही मान्य होंगी। पर परिषद को अधिकार है कि "वह अपने

कार्य की सुविधा के लिए केन्द्र की आज्ञा से चाहे जिस रूप में ए संघठन करें।

प्रादेशिक सीमाएं (प्रदेश विभाग)

धारा ६—(अ) परिषद की प्रदेश समितियां साधारणतया निम्न-लिखित तद् तद्-प्रदेशों में बनाई जायेंगी और उनका कार्यालय निम्न-लिखित प्रदेशों के केन्द्र स्थानों में होगा या जहां केन्द्रीय कार्य समिति निश्चित करें।

प्रदेश	केन्द्रस्थान
१—देहली	देहली
२—पूर्वी पंजाब	अमृतसर
३—राजस्थान (अजमेर सहित)	जयपुर
४—मध्यभारत	इन्दौर
५—बम्बई	बम्बई
६—सौराष्ट्र	राजकोट
७—हैदराबाद	हैदराबाद
८—मैसूर	बंगलौर
९—महाराष्ट्र	पूना
१०—केरल	कोचीन
११—कर्नाटक	मदुरा
१२—तामिलनाड	मदरास
१३—आंध्र	विजयवाड़ा
१४—उत्कल (उड़ीसा)	पुरी
१५—पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता
१६—आसाम	डिब्रूगढ़
१७—बिहार	पटना
१८—उत्तर प्रदेश	बनारस (काशी)
१९—विन्ध्यप्रदेश	रीवा

२०—महाकौशल	रामपुर
२१—मध्यप्रदेश (नागपुर)	नागपुर
२२—विदर्भ (बरार)	आकोला
२३—हिमाचल प्रदेश	मण्डी
२४—पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ	पटियाला
२५—जम्मू काश्मीर	जम्मू श्रीनगर

(अ) प्रदेश परिषद् समितियां अपना केन्द्र स्थान केन्द्रीय कार्यकारिणी की सम्मति लेकर बदल सकती हैं।

(इ) केन्द्रीय कार्य समिति प्रदेश परिषद् समिति या समितियों के सुझाव पर या स्वयं सुविधानुसार नये प्रदेश बना सकती है, वर्तमान प्रदेशों को कम कर सकती है, दो प्रदेशों को एक कर सकती है या किसी प्रदेश के जिले या विभाग या जिले के किसी विभाग को अन्य प्रदेश में जोड़ सकती है।

(ई) केन्द्रीय कार्यसमिति स्वनिर्मित अपने ऐसे क्षेत्रों को, चाहे भारत में हो अथवा बाहर, प्रतिनिधित्व दे सकती है या ऐसे क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को पड़ोस के प्रदेश में मिलाने के विषय में आदेश दे सकती है।

केन्द्र

धारा ७—केन्द्र में निम्न लिखित संस्थाएं तथा पदाधिकारी होंगे।

१—सर्वोच्च समिति।

अखिल भारतीय रामराज्य परिषद की एक सर्वोच्च समिति रहेगी। इसकी सदस्य संख्या ७ रहेगी। इनमें से ५ सदस्य प्रथमवार परिषद के संस्थापक द्वारा मनोनीत होंगे। उनमें स्थान रिक्त होने पर शेष सदस्य उसकी पूर्ति कर सकेंगे। उसमें ऐसे ही व्यक्ति रखे जायंगे जो सदाचारी, विद्वान, अनुभवी, समाज सेवी एवं प्रभावशाली होंगे। इन पांच के अतिरिक्त कार्य समिति के अध्यक्ष तथा मंत्री भी इसके सदस्य

रहेंगे। इसकी बैठकें बुलाने के लिए सदस्यों में ही एक संयोजक रहेगा। बैठक का काम चलाने के लिए सदस्यों में से ही कोई सभापति चुना जा सकेगा। परिषद की नीति निर्धारित करना, विधान सम्बन्धी परिवर्तन स्वीकार करना, परिषद् की गतिविधि पर नियंत्रण रखना और विवाद-ग्रस्त सभी प्रश्नों पर अन्तिम निर्णय देना इस समिति का कार्य रहेगा।

अखिल भारतीय महा समिति

इसकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक ५०१ होगी। उनमें निम्नलिखित व्यक्ति रहेंगे।

१—परिषद के अध्यक्ष, सभापति सभी पिछले अधिवेशनों के सभी भूतपूर्व अध्यक्ष तथा सभापति। पिछले वर्षों के प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री।

२—जनसंख्या के अनुपात से प्रान्तों के प्रतिनिधि जो प्रतिवर्ष अधिवेशन में चुने जायेंगे। ऐसे प्रतिनिधियों की सूची प्रान्तों को वर्ष के अन्त में केन्द्र को भेजनी होगी।

३—अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य।

इस महा समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे।

१—कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत आय व्यय का हिसाब स्वीकार करना।

२—सामान्य नीति निर्धारित करना, सामान्य प्रश्नों पर कार्यसमिति द्वारा उपस्थित प्रस्ताव या अन्य प्रस्ताव स्वीकार करना।

३—मन्त्रियों द्वारा उपस्थित विवरण स्वीकार करना।

४—संविधान में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन उपस्थित करना।

इसके निम्न लिखित पदाधिकारी होंगे।

अखिल भारतीय कार्य समिति

इसके निम्न लिखित सदस्य होंगे।

१—वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष जो महा समिति द्वारा सर्वोच्च समिति की स्वीकृति से चुना जायेगा।

२—अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रान्तों के मनोनीत प्रतिनिधि जिनका पूरा संघटन नहीं हुआ है अथवा जिनका उक्त समिति में प्रमुख नहीं है। ऐसे प्रान्तों के अध्यक्ष तथा मन्त्री द्वारा प्रेषित सूचियों में से ही नाम चुने जाएँगे।

३—परिषद् के निम्न लिखित पदाधिकारी जिनका मान्त्रमण्डल होगा और जिन्हें प्रधानमन्त्री के परामर्श से अध्यक्ष मनोनीत करेगा।

साधारणतः निम्न लिखित पदाधिकारी रहेंगे।

क—वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष।

ख—उपाध्यक्ष।

जो कार्यवाहक रहेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों का सभापति होगा।

ग—मन्त्री गण।

१—प्रधान मन्त्री, सहायक मंत्री, संगठन मंत्री, कार्यालय मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सुरक्षा मंत्री, वित्त-मंत्री, पुनर्वास मंत्री, पर्यवाहन तथा संचालन मंत्री, खाद्य तथा कृषिमंत्री क़ानून मंत्री, वाणिज्य तथा व्यापार मन्त्री, उद्योग तथा वैज्ञानिक अनु-सन्धान मंत्री, प्रचार मंत्री, श्रम मंत्री, धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था मंत्री, योजना मंत्री।

अध्यक्ष को अधिकार होगा कि सुविधानुसार विभिन्न मंत्रियों के कार्य को अन्य मंत्री के कार्य के साथ मिला दे। यथा सम्भव मन्त्रियों की संख्या १९ से अधिक न होनी चाहिए। उनकी प्रतिवर्ष नियुक्ति होगी। नयी नियुक्ती हो जाने तक लोग अपना कार्य करते रहेंगे।

उक्त समिति के निम्न लिखित अधिकार तथा कर्तव्य रहेंगे।

१—परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न करना औरमंत्रियों द्वारा परिषद् की नीति कार्यान्वित करना।

२—सामजिक प्रश्नों पर प्रस्ताव स्वीकार करना, महासमिति संबंधी सुझाव देना और वार्षिक अधिवेशनों में स्वीकृत प्रस्तावों को कार्यान्वित करना।

३—धन संग्रह करना, उसे सामदायक रूप से लगाना अत्यावश्यक हो तो सर्वोच्च समिति की स्वीकृति से ऋण लेना, परिषद के हित के लिए चल तथा अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय करना या ठेके पर देना।

४. कार्यकर्त्ता नियुक्त करना, उनका वेतन, अथवा परिश्रमिक निश्चित करना और उनके कर्तव्य आदि के नियम आदि बनाना।

५. वार्षिक बजट तैयार करना।

६. अधीनस्थ संघटनों पर नियंत्रण रखना, उन्हें सलाह देना और आवश्यकता होने पर उन्हें परिषद् से संबद्ध अथवा असम्बद्ध करना।

७. जिन प्रान्तों में विभिन्न समितियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हों, उन्हें स्थगित करके उनके स्थान पर कार्यवाहक समिति नियुक्त करना।

८. प्रांतीय परिषदों के विवाद सुनना और उसमें निर्णय देना।

९. परिषद के उद्देश्य, हित, नियमों के प्रतिकूल आचरण करने वाले सदस्यों के विरुद्ध पूरी जांच के पश्चात अनुशासन की कार्यवाही करना।

१०. वर्ष के भीतर पदाधिकारियों या सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति करना।

११. महासमिति की स्वीकृति के लिए ऐसे नियम बनाना जो संविधान में नहीं दिए गये हैं, पर जो उसके उद्देश्य तथा नीति के विरुद्ध न हों।

अभ्यर्थी

धारा ८—मतदाता और (उम्मीद)

मतदाता—

(क) प्रत्येक सदस्य, जिसका नाम कम से कम एक वर्ष तक सदस्यों की पत्रिका में दर्ज रह चुका हो और निर्धारित समय के अन्दर ही सूची में दर्ज होगया हो, धारा ६ के अनुसार डेलीगेटों (प्रतिनिधियों) के चुनाव में मत देने का अधिकारी होगा।

अभ्यर्थी उम्मीदवार

(ख) किसी ग्राम या मुहल्ला परिषद समिति से ऊपर की किसी परिषद समिति के चुनाव के लिये कोई भी सदस्य को जिसकी आयु २१ वर्ष से कम न हो और डेलीगेट या प्रतिनिधि खड़े होने का अधिकार होगा।

धारा ६ —डेलीगेटों (प्रतिनिधियों) का चुनाव

प्रान्त—प्रांतों का संघटन गांवों के आधार पर होगा। किसी गांव या आसपास के गांव मिलाकर यदि २० सदस्य हों तो वे परिषद की शाखा स्थापित कर सकते हैं। उसमें सभा सदस्यों की एक महासमिति और कार्य संचालन के लिए एक छोटी कार्य समिति रहेगी। आवश्यकतानुसार पदाधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे। ग्राम सभाओं को पटवारी हलके के अधीन किया जाय। इसी प्रकार नगरों में मुहल्ला सभाएं स्थापित होंगी। सदस्य संख्या ५० हो जाने पर नगर शाखा स्थापित हो सकेगी।

इन सब का संघटन पोलिंग स्टेशन के आधार पर किया जायगा। समस्त पटवारी हलके तथा मुहल्लों का विवरण, सदस्य सूची, संघटन आदि इसका कार्य होगा।

समस्त पोलिंग स्टेशनों का संघटन निर्वाचन क्षेत्रीय सभा में होगा। इसका सम्बन्ध जिले से होगा। वह अपने समस्त क्षेत्र का पूरा परिचय जिला को देती रहेगी, और जिले के परामर्श से अपने क्षेत्र के लिए कार्य निर्वाचित करेगी।

जिला परिषद्–निर्वाचन क्षेत्रीय सभाओं के प्रतिनिधियों की जिला परिषद होगी। उसकी सदस्य संख्या यथा संम्भव जिला बोर्ड की सदस्य संख्या के बराबर होना चाहिए। उसकी एक कार्य समिति तथा आवश्यक पदाधिकारी रहेंगे। अपने जिले के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों की सभाओं का संचालन तथा नियमन उसका कार्य होगा। सदस्य शुल्क की आय का २५ प्रतिशत अपने पास सुरक्षित रख समयानुसार अपने अधीन सभाओं की सहायता करना तथा ५० प्रतिशत सदस्यता शुल्क प्रांत को भेज उससे सम्पर्क स्थापित रखकर सहयोग करते हुए उसके आदेशानुसार संगठन को व्यापक तथा परिषद् को लोकप्रिय बनाना उसका कार्य होगा।

प्रांतीय परिषद्—जिला सभाओं के प्रतिनिधियों की प्रान्तीय परिषद होगी। उसकी महासमिति की सदस्य संख्या उस प्रांत के विधान मण्डल के सदस्य संख्या के बराबर होनी चाहिये। महासमिति द्वारा कार्य संचालन के लिए अधिक से अधिक २१ सदस्यों की कार्यसमिति तथा पदाधिकारियों का चुनाव होगा। जिला सभाओं की देख रेख उनकी सहायता तथा संघटन एवं प्रान्त व्यापिनी नीति निर्धारित कर उसका समुचित संचालन करना तथा प्रान्त में पूर्ण अनुशासन रख केन्द्र के साथ सहयोग रखते हुए परिषद को सब प्रकार से व्यापक बनाना, जिले से प्राप्त धन का संग्रह करते हुए परिषद् को सब प्रकार से व्यापक बनाना, जिले से प्राप्त धन का संग्रह एवं सद्व्यय तथा निर्धारित अंश केन्द्र को देते रहना उसका कार्य होगा।

प्रान्तीय महाधिवेशनों के समय विभिन्न समितियों के चुनाव हुआ करेंगे। किसी गांव, मुहल्ला, नगर, क्षेत्र, जिला या प्रान्त में एक से अधिक परिषद स्थापित न हो सकेंगी। प्रान्तीय परिषदों को अपने यहां की परिस्थिति के अनुसार कुछ नियम बनाने का अधिकार होगा। पर वे संविधान के अनुसार ही होने चाहिए और उनके लिए अखिल भारतीय कार्यसमिति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रान्तीय परिषद् को कार्यकर्ता, प्रचारक आदि नियुक्त करने त्यागपत्र स्वीकार करने, किसी के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने का अधिकार होगा, पर एक सप्ताह के भीतर उसकी सूचना अखिल भारतीय कार्य समिति में अपील हो सकती है।

अधीनस्थ शाखाओं को जिला शाखा के पास और जिला को प्रान्तीय परिषद् के पास प्रतिमास कार्य विवरण भेजना होगा। प्रान्तीय परिषद् को प्रति तीसरे मास अपना कार्य विवरण केन्द्र को भेजना होगा।

प्रान्तीय तथा उसके अधीनस्थ संघटनों को अपनी आय के अनुसार ही व्यय की व्यवस्था रखनी होगी। उन्हें ऋण लेने का कोई अधिकार न होगा। सदस्यता शुल्क की रसीदें और सदस्यता के प्रमाण पत्र प्रान्त की ओर से ही शाखाओं को दिये जायेंगे। कोई शाखा उन्हें अलग से नहीं छपवा सकेगी। यदि किसी विशेष स्थानीय कार्य के लिए उसे चन्दा एकत्र करना है तो उस के लिए पृथक रसीदें छपवायी जा सकेगी। प्रत्येक वर्ष हिसाब की पूरी जांच करानी होगी और जांच कर्ता की रिपोर्ट ऊपर वाले संघटन को भेजनी होगी। अखिल भारतीय कार्य समिति द्वारा बनाये नियमों के अनुसार ही प्रचारकों की नियुक्ति हो सकेगी।

कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक राजनीतिक संस्था अथवा विद्यालय, पुस्तकालय आदि, जो परिषद के उद्देश्यों से सहमत हों, अपना सम्बन्ध परिषद कर से सकेंगे। ऐसी संस्थाओं को ५, रुपया वार्षिक सम्बन्ध संस्थापन शुल्क देना होगा। परिषद के कार्यों में सहयोग देना और उसका कार्यक्रम सफल बनाना उनका कर्तव्य होगा। परिषद भी उन्हें सुविधाएं प्रदान करेगी।

शुल्क व्यवस्था—परिषद का सदस्यता शुल्क ४ आना वार्षिक रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रसन्नतापूर्वक जो चाहे दे सकता है। इस शुल्क का चतुर्थांश गांव या नगर परिषद में, चतुर्थांश जिला परिषद में, चतु-

र्धांश प्रान्तीय परिषद् में, और चतुर्थांश अखिल भारतीय परिषद् में जायगा।

अखिल भारतीय कार्यसमिति सदस्यता शुल्क २५) रुपया वार्षिक और महासमिति का १५) रुपया वार्षिक रहेगा। इसी प्रकार प्रान्तीय कार्य समिति के लिए १५) रुपया और प्रादेशिक महासमिति के लिए १०) रुपया वार्षिक होगा। जिले कार्यकारिणी के लिए १०) रुपया और महासमिति के लिए ५) रुपया होगा।

जो विद्वान्, साधु महात्मा आदि द्रव्य ग्रहण नहीं करते वे प्रान्तीय या अखिल भारतीय अध्यक्ष की सिफारिश पर शुल्क से मुक्त रहेंगे, किन्तु उन्हें सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना होगा।

आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रचारकों के लिए निम्नलिखित नियम बनाये जा सकते हैं।

१६—प्रचारकों के नियम

१—प्रान्तीय परिषद् के समस्त प्रचारकों को परिषद् का कार्य करने से पूर्व प्रचारक प्रमाण पत्र कार्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

२—प्रचारक बनने के लिए अपने ३ चित्र खिंचवाने होंगे जिनमें दो चित्र अपने जिले के पोस्टाफ़िस में १) के स्टांम (टिकट के साथ अपना आवेदन पत्र देकर परिचय पत्र (आइडिन्टी फ़िकेशन कार्ड) प्राप्त करना होगा।

३—पोस्टाफ़िस द्वारा आइडिन्टी फ़िकेशन कार्ड (परिचय पत्र) प्राप्त करने के बाद अपना आवेदन पत्र अपने कार्ड और चित्र सहित प्रचारमंत्री केन्द्र या प्रदेशीय रामराज्य परिषद् के नाम भेजना होगा।

४—प्रचारक आवेदन पत्र के साथ अपने गांव के किन्हीं २ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी भेजने होंगे, जिससे कि उन्हें सभी प्रकार का कार्य भार सौंपा जा सके और उनके कार्य व्यवहार का ज्ञान परिषद को भली प्रकार हो सके।

५—कार्यालय से प्राप्त किया गया प्रचारक प्रमाण पत्र और पोस्टाफिस का परिचय पत्र (आईडिन्टी फिकेशन कार्ड) दोनों प्रमाण के लिए प्रत्येक प्रचारक को अपने साथ रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक व्यक्ति को दिखाना होगा, जिससे कि उसके प्रचारक होने में जनता को सन्देह न रहे।

६—प्रचारकों को अपने कार्य की रिपोर्ट प्रति सप्ताह भेजनी होगी तथा संग्रहीत धन मनीआर्डर द्वारा साथ में भेजना होगा जिसका व्यय कार्यालय की ओर से किया जावेगा।

७—प्रचारक यथा सम्भव अवैतनिक ही रखे जायंगे फिर भी कार्यकारिणी यदि आवश्यकता समझे तो प्रचारकों को वैतनिक भी रख सकेगी।

८—प्रचारकों को उचित मार्ग व्यय कार्यालय की ओर से दिया जायगा, किन्तु प्रचारकों को यह ध्यान रखना होगा कि उनका मार्ग व्यय उनके द्वारा भेजे गये धन का चौथाई भाग से अधिक न हो।

९—प्रान्तीय अधिकारियों तथा प्रचारकों द्वारा संग्रह किये गये धन का कोई भाग शाखा सभाओं को नहीं दिया जायगा। किन्तु उनके द्वारा बनाये गये सदस्यों की सूची प्रत्येक शाखा को अपनी २ सदस्य सूची के साथ रखनी होगी।

१०—यदि कोई प्रचारक या पदाधिकारी किसी शाखा द्वारा उस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया हो तो उसका मार्ग व्यय उस शाखा को ही देना होगा।

११—प्रमाणित प्रचारकों को तथा अधिकारियों को किसी प्रकार की विदाई देने का कोई नियम नहीं है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति किसी को विदाई देना ही चाहे तो उससे कार्यालय का कोई सम्बन्ध न होगा।

१२—प्रचारकों को प्रधानमंत्री एवं प्रचार मंत्री की सभी आज्ञाएं मान्य होंगी।

१३—प्रमाणित प्रचारकों को प्रचार करने का अधिकार देना कार्यकारिणी समिति को होगा।

१४—प्रचारक प्रमाणपत्र सभापति प्रधानमंत्री और प्रचारमंत्री के हस्ताक्षर होने पर प्रमाणित समझा जायगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी।

१५—परिषद् का नवीन निर्वाचन हो जाने के बाद प्रचारक प्रमाण पत्र अवैध समझे जाएंगे चुनाव के बाद पुनः दूसर प्रमाणपत्र लेकर ही समस्त प्रचारकों को प्रचार करने का अधिकार होगा।

कार्यकारिणी किसी भी प्रमाणपत्र को बीच में भी अवैध घोषित कर सकेगी।

कृष्णा प्रिन्टिंग प्रेस, देहली।